(५८)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1537-II-07 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.09.93के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, द्वारा के प्रकरण क्रमांक 1222/अपील/06—07

1.मुख्तार आलम पिता नूरुद्दीन
2.नौमान आलम तनय नूरुद्दीन
3.मजहर आलम तनय नूरुद्दीन
4.मुस.जुलैखा वेवा पत्नी नुरुद्दीन
5.हबीबुद्दीन तनय जलालुद्दीन
6.जहिदावेगम पत्नी समीमुद्दीन
7.सैफी उम्र 8 वर्श समीमुद्दीन अव यक पुत्र द्वारा संरक्षिका
मॉ जाहिदा वेगम
सभी निवासी —बेला तहसील अमरपाटन .....आवेदकगण
जिला—सतना म0प्र0

विरूद्ध

1.सर्फराजुधीन।
2.एकराम हुसेन। तनय स्व0 नसीरुधीन
3. इकवाल हुसेन
4. खैरुन्निसा पत्नी नसीरुखद्दीन ..... अनावेदकगण
5.मुस0 जकिया खातून वेवा अव्दुलवारी
सभी निवासीगण—ग्राम बेला,
तहसील अमरपाटन, जिला—सतना म0प्र0

....

श्री आर0एस0 सेंगर , अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आदेश दिनांक 6/2/17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1222–अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 6.8.07 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बेला को आराजी नंबर 900/2 के पूर्व भूमिस्वामी अब्दुल वारी तनय अब्दुल सत्तार निवासी बेला था लेकिन बिना भूमिस्वामी के किसी सहमति के उसके पीठ पीछे पंजी कमांक 60 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 30.9.61 के द्वारा अनावेदक के नाम रजाबंदी के आधार पर नामांतरण प्रमाणित किया गया, लेकिन इस आदेश के विरूद्व पहले आवेदकगण द्वारा अपील न की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि खसरा में नाम दर्ज गलत है जिसे पुनरावलोकन किया जाकर सुधार किया जावे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विचारोपरांत इस आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया गया कि पंजी में आदेश के विरूद्व अपील होना चाहिये । नसरूददीन पिता अब्दुल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 24.8.2000 को पारित कर स्वीकार की गई इससे परिवेदित होकर मुख्तार आलम आदि ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 6.8.07 को समयावाधित होने के कारण निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/– आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुये हैं और न ही सम्मन मिला है उनके द्वारा पक्ष समर्थन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में बिना अभिलेख बुलाये उपरोक्त बिन्दु को अमान्य नहीं किया जा सकता । उनके द्वारा अपने

तर्क में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय पारित किया है जो राजस्व निर्णय 1990 पृष्ठ 95 अवधारित किया है कि निगरानी अवधि वाह्य है तो धारा–5 भारतीय म्याद अधिनियम के अधीन प्रस्तुत आवेदन को बिना अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये संक्षिप्त आदेश में निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि धारा–5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर निगरानी स्वीकार की जावे।

4/–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर कर दिया जावे।

5/– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2000 का अवलोकन किया गया तथा ग्रह्यता पर दिये गये विद्वान अधिवक्त के तर्को पर भी विचार किया गया। आवेदक द्वारा विलंब हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया है। आवेदक ने प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 2.7.07 का तब होना बताया है जब प्रत्यर्थी मुस0 जकिया अपने नाती के साथ मिलकर आवेदक के मकान के सामने पत्थर की सीमा से पत्थर हटवाने लगी । तत्पश्चात दिनांक 13.7.07 का पटवारी से खसरा प्राप्त करना बताया गया है। खसरे के आधार पर प्रश्नाधीन आदेश की नकल लेकर दिनांक 25.7.07 का प्रस्तुत की गयी है। लेकिन अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक पक्षकार है और उसके द्वारा प्रकरण में अपना पक्ष समर्थन भी किया गया है। ऐसी स्थिति में उसका तर्क स्वीकार योग्य नहीं कि वर्ष 2000 में पारित आदेश की जानकारी आवेदक को वर्ष 2007 में हुई है। आवेदक ने इतने दीर्धकाली विलंब का माफ किये जाने हेतु जो आधार लिये हैं वे पर्याप्त नहीं है और आवेदक को किसी भी दृष्टि से विलंब माफी का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है । परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर